प्रेस नोट सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 10.02.2025

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

“थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला करने वाले अभियुक्त को मय घटना मे प्रयुक्त चाकू व कैंची के साथ किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन में अपराध रोकथाम हेतु कार्यवाही कराते हुए थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण : -

दिनांक 09.02.2025 को थाना हाजा पर वादिनी श्रीमती शालू पत्नी श्री विक्रम सिह पुत्री श्री निर्मल कुमार निवासी मो0 आर्यनगर दिलाजाक थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर बनाम विक्रम सिंह पुत्र बेचे लाल नि० नोनमगंज पंचालघाट सोता बहादुरपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद फतेहगढ़ द्वारा खुद की पत्नी व पुत्र व पुत्रियो व ससुर निर्मल कुमार को जान से मारने की नियत से चाकू व कैंची से मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर देना व किराये पर रह रही महिला आरक्षी के कमरे मे क्षति कारित करने की नियत से आग लगा देना जिससे आवेदिका व किराये पर रही महिला आरक्षी के सोने चांदी के आभूषण फर्नीचर, रुपये व जरुरी कागजात आदि जल जाना व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने के संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 74/25 धारा -115(2)/118(1)/125/109/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता को लेते हुए श्री उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिह चौकी प्रभारी कैन्ट के नेत्रत्व में घटना मे प्रयुक्त चाकू व कैंची की बरामदगी व मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। गहणता से पतारसी सुरागरसी करते हुए उक्त टीम द्वारा दिनांक 10.02.2025 को अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर शालीमार गार्डेन मैरिज लान के उत्तरी किनारे के पास अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र बेचे लाल नि० नोनमगंज पंचालघाट सोता बहादुरपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद फतेहगढ़ को घटना मे प्रयुक्त चाकू व कैंची के साथ समय करीब 11.12 बजे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाने से विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त : -

विक्रम सिंह पुत्र बेचे लाल निवासी नोनमगंज पंचालघाट सोता बहादुरपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद फतेहगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

पेट्रोल पम्प तिराहे से ग्वाल टोली मोहल्ला जाने वाले रोड पुक्ता पर ही करीब 100 कदमो की दूरी पर समय 11.12 बजे

अपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 74/25 धारा -115(2)/118(1)/125/109/351(3) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 16/2025 धारा 115(2)/351(2) 352 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना कादरीगेट जिला फतेहगढ।

बरादमगी : -

घटना मे प्रयुक्त चाकू व कैंची

गिरफ्तारी पूछताछ :-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी पत्नी शालू दिवाकर मुझे बिना बताये करीब 15 दिन पहले मय बच्चों के मायके आ गयी थी मै घर वापस आने को कह रहा था, लेकिन वह मेरे घर वापस आने को तैयार नही थी तो मै कल दिनांक 09.02.2025 को अपनी ससुराल मो0 आर्यनगर दिलाजाक थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर आया तथा अपनी पत्नी को मय बच्चों के साथ चलने को कहा तो नाराज हो गयी गाली गलौज करने लगी इसी मे मुझे अचानक गुस्सा आ गया व वही किचन मे पड़ी कैची व चाकू उठाकर हमला कर दिया था।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 रणजीत बहादुर सिह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2.का0 2070 मोनू सिह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
3.का0 2686 मनीष कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर